

[2023: आर जे-जे डी:52184]

**राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21226/2024

दलीप कुमार पुत्र श्री हरि राम, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 9, वी.पी.ओ. नुकेरा,  
तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।

----प्रतिवादी

से जुड़ा हुआ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21262/2024

जसविंदर कौर पुत्री श्री दलवीर सिंह, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वीपीओ बनवाली, तहसील  
सादुलशहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।

----याचिका कर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21263/2024

शैल कंवर शेखावत पुत्री श्री पृथ्वी सिंह शेखावत, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 7, विकास पब्लिक स्कूल के पास, सादुल शहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।

5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।

6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21113/2024

1. ओम प्रकाश पुत्र कालू राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरिया, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर (वर्तमान में पोस्टेड जीएसएस शिवनगरी (गोडावास), जिला बालोतरा)

2. अनुराधा शर्मा पत्नी राजेश शर्मा, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी भदवासिया हॉस्पिटल के पीछे, वार्ड नंबर 60, मदेरणा कॉलोनी, जोधपुर। (वर्तमान में जीजीएसएसएस आलों की ढाणी कोरना (कल्याणपुर), जिला बालोतरा में पोस्ट किया गया है)

3. सुशीला पत्नी विजय सिंह, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी घड़ोद चारणान, कल्याणपुर, जिला बालोतरा। (वर्तमान में पोस्टेड जीएसएस अराबा दुदावता (कल्याणपुर), जिला बालोतरा)।

----याचिका कर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, बालोतरा।

----प्रतिवादी

---

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री विशाल जांगिड़  
श्री हनुमान सिंह चौधरी ए/डब्ल्यू  
श्री शरवन चौधरी.

प्रतिवादी(ओं) के लिए :

---

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

17/12/2024

1. उपरोक्त याचिकाओं का निपटारा इस सामान्य आदेश के तहत किया जा रहा है क्योंकि इसमें समान मुद्दे और तथ्य शामिल हैं।
2. याचिका कर्ताओं ने प्रति वादियों की निष्क्रियता को चुनौती दी है, शिकायत की है कि प्रबोधक/शिक्षक (स्तर-2) के उच्च पद पर उनके चयन के बावजूद, उन्हें गलत तरीके से प्रबोधक (स्तर-1) के निचले पद पर पोस्टिंग दी गई है।
3. पारित किए जा रहे आदेश की प्रकृति को देखते हुए, प्रति वादियों को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, और इसलिए, नोटिस जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा कोई रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
4. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:
  - 4.1. सभी याचिका कर्ताओं को प्रारंभ में प्रबोधक (स्तर-2) के पद पर नियुक्त किया गया था और वे इसी पद पर कार्यरत हैं। 14.11.2024 के आदेश के तहत, प्रतिवादी-शिक्षा विभाग ने

प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रण में कार्यरत व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए। 06.12.2024 के आदेश के तहत, प्रतिवादी विभाग ने अपने नियंत्रण में कार्यरत व्यक्तियों को समाहित कर लिया। उक्त आदेश के तहत, याचिका कर्ताओं को शिक्षक स्तर-I के पद पर पदस्थ/समाहित कर लिया गया।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं।

6. इसमें उठाया गया संक्षिप्त विवाद यह है कि क्या एक व्यक्ति, जो प्रबोधक/शिक्षक (स्तर-II) के रूप में कार्यरत है, को शिक्षक ग्रेड-III (स्तर-I) के रूप में पोस्टिंग दी जा सकती है, जिसके लिए अलग-अलग भर्ती योग्यताएं निर्धारित हैं।

7. इसका उत्तर ढूँढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आइए देखें कैसे।

8. सबसे पहले, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 266(ए)(3) और पंचायती राज प्रबोधक नियम, 2008 की अनुसूची 2 का संदर्भ लिया जा सकता है। इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

|  |   |
|--|---|
| <p>[(3) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा)<br/>(ए) सामान्य शिक्षा स्तर-(i) कक्षा I से V</p> | <p>निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35, 2009) की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यताएं तथा आर.ई.ई.टी./आर.टी.ई.टी. उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35, 2009) की धारा 23 की उपधारा (1) के</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>स्तर-(ii) कक्षा VI से VIII(B) विशेष शिक्षा स्तर-(i)स्तर-(ii) कक्षा VI से VIII</p> | <p>प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यताएं, और</p> <p>(i) सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए, उम्मीदवार को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र, लेखाशास्त्र, आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग और व्यवसाय अर्थशास्त्र में से कम से कम एक विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए;</p> <p>(ii) विज्ञान और गणित के शिक्षक के लिए, उम्मीदवार को रसायन विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान और गणित में से कम से कम एक विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए;</p> <p>(iii) भाषा शिक्षक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित भाषा के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए;</p> <p>(iv) वह अभ्यर्थी जिसने प्रारंभिक शिक्षा (बी.ई.आई.एड.) या बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. में स्नातक किया हो, यानी चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की योग्यता वाला अभ्यर्थी, संबंधित विषय के साथ अर्हक परीक्षा भी उत्तीर्ण किया हो; और</p> <p>(v) आवेदन करने वाले विषय में आर.ई.ई.टी./आर.टी.ई.टी. उत्तीर्ण होना</p> |
|--|---|

|  |        |
|--|--------|
|  | चाहिए। |
|--|--------|

**पनहायति राज प्रबोधक नियम, 2008 की अनुसूची 2**

| क्रम संख्या | पद का नाम  | प्रतिशत के साथ भर्ती की विधि | वह पद जिससे पदोन्नति की जानी है | पदोन्नति के लिए योग्यता और अनुभव | सीधी भर्ती के लिए योग्यता और व्यय   |
|-------------|--|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| 1           | 2  | 3                            | 4                               | 5                                | 6   |
| 1           | xxx  | xxx                          | xxx                             | क्सक्सक्स                        | xxx   |
| 2           | प्रबोधक (1) सामान्य शिक्षा (ए) कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्तर-1 | 100% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा  | ---                             | ---                              | (ए) सीनियर सेकेंडरी (या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (बी.एस.टी.सी); या सीनियर सेकेंडरी (या इसके समकक्ष) कम से कम 45% अंकों के साथ और एन.सी.टी.ई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>(बी.एस.टी.सी);</p> <p>या</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ<br/>सीनियर सेकेंडरी (या इसके<br/>समकक्ष) और 4 वर्षीय बैचलर<br/>ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन<br/>(बी.एल.एड.);</p> <p>या</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ<br/>सीनियर सेकेंडरी (या इसके<br/>समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय<br/>डिप्लोमा (विशेष शिक्षा);</p> <p>या</p> <p>स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में दो<br/>वर्षीय डिप्लोमा (बी.एस.टी.सी)</p> <p>और</p> <p><b>(बी)</b> इस उद्देश्य के लिए<br/>एन.सी.टी.ई द्वारा तैयार दिशानिर्देशों<br/>के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण होना। |
|--|--|--|--|--|---|

9. उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि प्रबोधक/शिक्षक (स्तर-II) के पद पर भर्ती के लिए आवश्यक प्रवेश-स्तर की शिक्षा स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और एक वर्षीय बी.एड. है। जबकि, प्रबोधक/शिक्षक (स्तर-I) के पद के लिए आवश्यक योग्यता उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) कम से कम 50% अंकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा, मानक प्रशिक्षण स्नातक प्रमाणपत्र (बी.एस.टी.सी) है।

10. जो स्थिति उभर कर आती है वह शिक्षक ग्रेड-III (स्तर-II) की भर्ती के लिए है, प्रवेश स्तर की योग्यता शिक्षक ग्रेड-III (स्तर-I) की तुलना में अधिक है।

11. इस आधार पर, यह सिद्ध होता है कि याचिका कर्ताओं को, निस्संदेह प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अधिशेष घोषित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें निचले स्तर का पद नहीं दिया जा सकता है जिसके लिए उन्होंने न तो आवेदन किया था और न ही उन्हें चुना गया था।

12. परिणामस्वरूप, याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। विवादित आदेशों को निरस्त किया जाता है और प्रति वादियों को, यदि आवश्यक हो, कानून के अनुसार नए प्रशासनिक आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

13. यदि कोई लंबित आवेदन/आवेदन हैं, तो उनका निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

260, 263, 264 एवं 254-जितेन्द्र/धनंजय

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है :      हाँ    /    नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



**Tarun Mehra**

**Advocate**